

Seventeenth Loksabha

pan>

Title: Introduction of the Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill, 2019 (*Amendment of Section 2*).

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू):मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to amend the Prohibition of Child Marriage Act, 2006.”

The motion was adopted.

श्री विष्णु दयाल राम: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।